



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाइट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक : नि० प्रा०/ नि० 1-03/2017

1309

/पटना, दिनांक 12/06/2020

प्रेषक,

गिरीश शंकर,

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), पटना।

प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), खुशरूपुर, पटना।

विषय : खुशरूपुर प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि० के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची का प्रकाशन।

महाशय,

प्राधिकार के पत्रांक 541 दिनांक 06.02.2020 द्वारा खुशरूपुर प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि० के प्रबंधकारिणी कमिटी के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची के प्रकाशन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.01.2020 निर्धारित की गयी थी एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 26.02.2020 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया गया था। मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 769 दिनांक 06.03.2020 द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, जिसके अनुसार सूचना का प्रकाशन दिनांक 23.03.2020 को किया जाना था किंतु राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉक डाउन के मद्देनजर प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 867 दिनांक 23.03.2020 द्वारा उक्त अधिसूचित कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा।

2. चूंकि बिहार सहकारी सोसायटी नियमावली 1959 के नियम 21 म (ख) (i) के तहत मतदाता सूची की तैयारी के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि के 120 दिनों की सीमा के अंतर्गत निर्वाचन कराया जाना है, जो लॉक डाउन के कारण नहीं हो सका। अतएव खुशरूपुर प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि० की मतदाता सूची का नये सिरे से प्रकाशन कराया जाना बाध्यकारी स्थिति है।

3. उक्त समिति की मतदाता सूची की तैयारी एवं उसके बाद निर्वाचन के उद्देश्य से प्राधिकार ने दिनांक 31.05.2020 को कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया है। केवल वैसे व्यक्ति जो दिनांक 31.05.2020 तक समिति की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं तथा जो अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं मतदाता सूची में सम्मिलित किये जा सकेंगे।

4. उक्त सहकारी समिति की मतदाता सूची की तैयारी हेतु प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-

क्र०	कार्यक्रम	अवधि
1	सहकारी समिति द्वारा प्रपत्र एम-1 में सदस्यता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	20.06.2020
2	जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर अथवा उक्त सूची स्वयं तैयार कर उसे निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	22.06.2020

3	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थानों पर प्रकाशन	24.06.2020
4	आम नोटिस का प्रकाशन जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे/ आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावे/ आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित है	24.06.2020
5	दावे/ आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि	04.07.2020 तक
6	दावे/ आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	09.07.2020

5. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा समिति की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना प्रारूप प्रकाशन के दिन ही संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा सूचनाएँ एकत्रित कर दिनांक 26.06.2020 तक इसे निश्चित रूप से प्राधिकार को समेकित रूप में उपलब्ध करायी जायगी।

6. निर्वाचन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के पहले प्राधिकार के लिए अंतिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची का संक्षिप्त विवरण जानना आवश्यक है। दिनांक 11.07.2020 को निर्वाचन पदाधिकारी अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में प्रपत्र-एम 7 पर दिये गये प्रपत्र में एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और इस प्रतिवेदन को प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी या अन्य पर्यवेक्षक के माध्यम से जिला सहकारिता पदाधिकारी को उसी दिन उपलब्ध करा देंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रपत्र-एम 7 पर दिये गये प्रपत्र में ही संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन को उसी प्रपत्र में ई-मेल या विशेष दूत द्वारा दिनांक 13.07.2020 तक निश्चित रूप से प्राधिकार को उपलब्ध करा देंगे।

7. लॉक डाउन अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी दावा/ आपत्तियों का निष्पादन करते समय कोरोना संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि दावा/ आपत्ति दायर करने तथा सुनवाई के समय भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके लिए यह भी आवश्यक होगा कि दावा/ आपत्तियों के निष्पादन हेतु सुनवाई के लिए निर्धारित अवधि के अंदर अलग-अलग दावों के लिए अलग-अलग समय का निर्धारण किया जाय। यह व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय कि दावा/ आपत्ति दायर करने तथा इनपर सुनवाई के समय एक दूसरे व्यक्तियों के बीच सामाजिक दूरी बनी रहे।

8. प्राधिकार के पत्रांक 541 दिनांक 06.02.2020 द्वारा दिये गये अन्य निदेश यथावत रहेंगे।

विश्वासभाजन,

(गिरीश शंकर)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

ज्ञापक : 1309

/पटना, दिनांक 12/06/2020

प्रतिलिपि : जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वे कृपया अपने स्तर से भी उपर्युक्त निदेश की जानकारी संबंधित समिति को दें तथा संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। ज्ञातव्य हो कि निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा की गई किसी पृच्छा का सम्यक् एवं त्वरित उत्तर देने हेतु वे कर्तव्यबद्ध (dutybound) हैं।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1309

/पटना, दिनांक 12/06/2020

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 1309

पटना/ दिनांक 12/06/2020

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 1309

/पटना, दिनांक 12/06/2020

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।